संविधान काव्य

एस. के. गौतम

© रचनाकार का सर्वाधिकार सुरक्षित

"संविधान काव्य"

रचनाकार - सुनील कुमार गौतम
(भारतीय पुलिस सेवा)

प्रकाशक - न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन
सी - 4/2, मेन रोड़, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया,
दिल्ली - 110052

समर्पण

“संविधान निर्माता डॉ० भीम राव अम्बेडकर को जिनकी विलक्षण प्रतिभा और सूझबूझ से हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान मिला।”

- सुनील कुमार गौतम

प्रस्तावना

भारतीय संविधान हमारे देश की नीतियों का मार्गदर्शक है, इसलिए यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यही नहीं, यह पूरे विश्व में भी सबसे बड़ा संविधान है।

ऐसे संविधान को मैंने सरल भाषा व पदों के रूप में रचित करके सुग्राही बनाने की कोशिश की है। इस "संविधान काव्य" में करीब 238 पद हैं जिनमें संविधान के हर भाग व अनुच्छेद के मूल-भाव को समाहित करने की कोशिश की गई है। साथ ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि यह जनसाधारण की समझ में भी आसानी से आ सके।

इस काव्य की रचना के लिए मैं अपनी पत्नी श्रीमती किरन गौतम का आभारी हूँ जिन्होंने इसमें भावात्मक पुट डालने में मेरी मदद की।

मैं माननीय डा० नसीम जैदी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, माननीय श्री नजीब जंग, उपराज्यपाल, दिल्ली, माननीय श्री आलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली का ह्रदय से बहुत-बहुत आभारी हूँ जिन्होंने संविधान काव्य के बारे में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये हैं।

आशा है कि आप सभी लोग इस "संविधान काव्य" से जरूर लाभान्वित होंगे।

धन्यवाद।

- सुनील कुमार गौतम

डा० नसीम जैदी
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

भारतीय संविधान हमारा प्रमुख कानूनी मार्गदर्शक है। हर व्यक्ति को संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए जिससे उसे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों की जानकारी मिल सके।

मैं समझता हूँ कि श्री सुनील कुमार गौतम द्वारा रचित संविधान काव्य से यह कार्य अब बहुत आसान हो जाएगा। इसमें संविधान के सार को पदों के रूप में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। यह इतना रुचिकर है कि यदि एक बार इसको पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो फिर पूरा पढ़े बिना मन नही मानता।

इतने बड़े एवं जटिल ग्रंथ को इतने सरल शब्दों में व्यक्त करके श्री गौतम ने एक मिसाल कायम की है। मेरा विचार है कि इसको प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए जिससे वे संविधान व जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का और बखूबी से पालन कर सकें।

मैं श्री गौतम को उनके इस कार्य के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनायें व्यक्त करता हूँ।

30 मार्च 2016

नसीम ज़ैदी
(डॉ0 नसीम ज़ैदी)

उपराज्यपाल, दिल्ली

L. G. DELHI

सत्यमेव जयते

राज निवास
दिल्ली - ११००५४
RAJ NIWAS
DELHI - 110054

भारत, संसदीय प्रणाली वाला लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। इस लोकतंत्र की आत्मा भारत के संविधान में बसती है। 26 नवम्बर, 1949 को पारित तथा 26 जनवरी, 1950 से लागू भारतीय संविधान विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भागों में विभाजित भारतीय संविधान भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता का वृहद दस्तावेज है।

आई०पी०एस० अधिकारी श्री सुनील कुमार गौतम ने भारतीय संविधान को 'संविधान काव्य' पद्यात्मक पुस्तिका के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। संविधान के मूल पाठ के मर्म को ध्यान में रखते हुए उसको जन साधारण तक उन्ही की भाषा में प्रस्तुत करना एक अनूठा प्रयोग है।

मैं, श्री सुनील कुमार गौतम के इस पुनीत कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि संविधान के इस पद्य रूप को पढ़ते समय सुधी पाठक अपने आप को संविधान के साथ आत्मसात कर सकेंगे।

इस पुस्तक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

16.02.2016

(नजीब जंग)

C.P. Delhi

पुलिस आयुक्त, दिल्ली

सत्यमेव जयते

दिल्ली
पुलिस मुख्यालय
नई दिल्ली - 110002

यह सर्वविदित है कि भारतीय संविधान अन्य सभी कानूनों का स्त्रोत है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखने की शपथ लेता है। वह सेवा पर्यन्त कानून व्यवस्था बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता है।

श्री सुनील कुमार गौतम ने अपने व्यस्ततम कार्य के बावजूद भारतीय संविधान की काव्यात्मक रूप में जो प्रस्तुति की है वह वास्तव में अद्वितीय है। उनका यह कार्य काफी प्रेरणादायक व आम जन के लिए बहुत लाभदायक है। मैं आशा करता हूँ कि "संविधान काव्य" के माध्यम से हर भारतीय संविधान को आसानी से समझ सकेगा।

मैं, श्री गौतम के इस अद्भुत कार्य की सराहना करता हूँ और इस पुस्तक की सफलता के लिए कामना करता हूँ।

आलोक कुमार वर्मा

(आलोक कुमार वर्मा)

विषय-सूची (Index)

संविधान की उद्देशिका (Preamble)

भाग-1

संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and its Territories)

भाग-2

नागरिकता (Citizenship)

भाग-3

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

भाग-4

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

भाग-4 (क)

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

भाग-5

संघ (The Union)

भाग-6

राज्य (The States)

भाग-7

प्रथम अनूसूची के भाग ख में राज्य - निरसित (The States in Part B of First Schedule - Repealed)

भाग-8

संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories)

भाग-9

पंचायतें (The Panchayats)

भाग-9 (क)

नगरपालिकायें (The Municipalities)

भाग-9 (ख)

सहकारी समितियां (The Co-Operative Societies)

भाग-10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas)

भाग-11

संघ और राज्यों के बीच में सम्बन्ध (Relations between the Union and the States)

भाग-12

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)

भाग-13

भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Trade, Commerce and Intercourse in India)

भाग-14

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under the Union and the States)

भाग-14 (क)

अधिकरण (Tribunals)

भाग-15

निर्वाचन (Elections)

भाग-16

कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special Provisions relating to Certain Classes)

भाग-17

राजभाषा (Official Language)

भाग-18

आपात उपबन्ध (Emergency Provisions)

भाग-19

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

भाग-20

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

भाग-21

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (Temporary, Transitional and Special Provisions)

भाग-22

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi)

संविधान की उद्देशिका (Preamble)

हम भारत के लोग, आज ये संविधान अपनाते हैं,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं।

मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी,
मिलेगी समानता सबको, देश की जो आबादी।

बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाये,
राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाये।

26 नवम्बर 1949, दृढ़निश्चय हम करते हैं,
संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं।

भाग-1

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

(The Union and its Territories)

सब राज्यों को मिलाकर, भारत एक संघ होगा,
चाहें तो, नवराष्ट्रों का मिलन, विधि सम्मत होगा।

(अनुच्छेद - 1,2)

संसद चाहे, नये राज्यों का निर्माण कर सकती है,
वर्तमान राज्यों में, परिवर्तन भी कर सकती है।

(अनुच्छेद - 3)

भाग-2

नागरिकता (Citizenship)

भारत में रहने वाला व्यक्ति, भारतीय कहलाता है,
बाहर से आ बसे भारत में, वह भी ये हक पाता है।

(अनुच्छेद - 5)

कोई स्वेच्छा से करे, विदेशी नागरिकता स्वीकार,
भारतीय नागरिकता पर, वह खोयेगा अधिकार।

(अनुच्छेद - 9)

भाग-3

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मानव मूल अधिकारों को, महत्वपूर्ण बतलाया है,
इनके विरुद्ध किसी विधि को, असंगत ठहराया है।

(अनुच्छेद - 13)

अनुच्छेद चौदह में, समता का अधिकार है,
होटल हो चाहे दुकान, सबको प्रवेश अधिकार है।

(अनुच्छेद - 14, 15)

अनूसूचित जाति, जनजाति की करनी होगी भलाई
ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई।

(अनुच्छेद - 15)

नौकरी में धर्म, जाति, लिंग का नहीं होगा भेद,
साफ साफ शब्दों में, समझाता सोलह अनुच्छेद।

(अनुच्छेद - 16)

समाज के पिछड़े वर्गों को,हो आरक्षण का सहारा,
उन्नति करें दलित, जिनका जीवन वंचित सारा।

(अनुच्छेद - 16)

छुआछूत कलंक का, अनुच्छेद सतरह करे अंत,
डॉ० अम्बेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संत।

(अनुच्छेद - 17)

रहे ना कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा,
पद ना होगा जन्म से, खुला योग्यता का दरवाजा।

(अनुच्छेद - 18)

प्रतियोगिता से ही मिलेगा, अब पद और सम्मान,
बनो डॉक्टर और कलक्टर, खूब कमाओ नाम।

(अनुच्छेद - 18 [भाव की अभिव्यक्ति])

व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो,
अन्याय से नहीं डरो, मुँह तुम अपना खोलो।

(अनुच्छेद - 19)

संघ और समूह बनाना, है सबका अधिकार,
शांतिपूर्ण करो सम्मेलन, जो हो बिना हथियार।

(अनुच्छेद - 19)

सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो,
कोई जगह पसन्द आये, वहाँ भी रह सकते हो।

(अनुच्छेद - 19)

बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार,
अनुच्छेद उन्नीस देता है, तुमको ये सारे अधिकार।

(अनुच्छेद - 19)

जब तक सिद्ध नहीं हो दोष,दोषी नहीं कहलाओगे,
बेगुनाह साबित होने के, सब अवसर तुम पाओगे।

(अनुच्छेद - 20)

पहले कारण बतलायेंगे, तभी करेंगे गिरफ्तार,
चौबीस घंटे में छोड़ेंगे, गिरफ्तारी यदि बेआधार।

(अनुच्छेद - 22)

कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार,
यदि कोई भी करे उल्लंघन, जाना होगा कारागार।

(अनुच्छेद - 23)

नन्हें - नन्हें से बच्चे, नहीं करे खान में काम,
सरकार उन्हें देगी शिक्षा, ताकि बने बड़े इंसान।

(अनुच्छेद - 24, 21 क)

किसी भी धर्म को मानो, या उसका प्रचार करो,
अपने बनाओ संस्थान, संचालन का काम करो।

(अनुच्छेद - 25, 26)

कर से होता मुक्त है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध,
सरकारी स्कूलों में है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध।

(अनुच्छेद - 27, 28)

बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई,अल्पसंख्यक हैं ये भाई,
अपने धर्म, लिपि, भाषा की, कर सकते हैं पढ़ाई।

(अनुच्छेद - 29, 30)

मूल अधिकार बहुत जरूरी, प्रजातंत्र का सार,
इन सब की गारंटी देता, संवैधानिक उपचार।

(अनुच्छेद - 32)

छीने यदि कोई अधिकार, रिट दायर करवाओ,
न्यायालय से लो आदेश, लागू उसे कराओ।

(अनुच्छेद - 32)

शस्त्र बलों व आई०बी० में,बहुत जरूरी अनुशासन,
अधिकारों में अल्प कटौती, कर सकता है शासन।

(अनुच्छेद - 33)

भाग-4

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

(Directive Principles of State Policy)

संविधान सब राज्यों को, देता है निर्देश,
जनता के कल्याण की, व्यवस्था करें विशेष।

(अनुच्छेद - 38)

सामाजिक असमता कम हो, घटे आय का अंतर,
सभी क्षेत्र करें विकास, अवसर मिले निरन्तर।

(अनुच्छेद - 38)

स्त्री-पुरुष सबको मिले, आजीविका के साधन,
सामूहिक हित हो जिसमें, बाँटो सब संसाधन।

(अनुच्छेद - 39)

एक हाथ में केन्द्रित ना हों, उत्पादन के साधन,
नर-नारी यदि करें कार्य, तो मिले समान ही वेतन।

(अनुच्छेद - 39)

कार्मिकों के स्वास्थ्य का, ध्यान रखे सरकार,
स्त्री - पुरुष, बच्चे न करें, हानिकारक रोजगार।

(अनुच्छेद - 39)

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल,
शोषण उनका ना होये, कभी न जाना भूल।

(अनुच्छेद - 39)

न्याय सर्वजन को मिले, अपराधी या सुशील,
कोई बहुत गरीब हो, तो मुफ्त में मिले वकील।

(अनुच्छेद - 39 क)

गाँव में निश्चित करें, पंचायत का गठन,
जनता को शक्ति मिले, लगे विकास में धन।

(अनुच्छेद - 40)

बूढ़ा हो, बेकार हो, असमर्थ या बीमार,
सहारा इनको भी मिले, कुछ मदद करे सरकार।

(अनुच्छेद - 41)

अच्छा, सुविधाजनक हो, कार्यालय में काम,
गर्भवती महिलाओं को, मिले विशेष आराम।

(अनुच्छेद - 42)

जीवन का स्तर सुधरे, चहुंमुखी होये विकास,
बेकारों को मिले काम, सुविधा और अवकाश।

(अनुच्छेद - 43)

उद्योगों के प्रबन्ध में, हो मजदूरों का हाथ,
सहकारी समिति का स्वरूप, खिले साथ ही साथ।

(अनुच्छेद - 43 क और ख)

सब नागरिकों के लिए, जो देश में करें निवास,
समान सिविल संहिता का, किया जाये प्रयास।

(अनुच्छेद - 44)

नन्हें बच्चों को मिले, शिक्षा और सुरक्षा,
बनें सभ्य नागरिक वे, जीवन हो अति अच्छा।

(अनुच्छेद - 45)

अनुसूचित जाति, जनजाति, वर्ग हैं सबसे दुर्बल,
अन्यायों पर लगे रोक, मिले शिक्षा और धन बल।

(अनुच्छेद - 46)

मिलें विटामिन, पोषक तत्व, उच्च स्तरीय जीवन,
स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार, रुके नशे का सेवन।

(अनुच्छेद - 47)

वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़े, कृषि और पशुपालन,
सुधरे नस्ल पशुओं की, वध-निषेध का हो पालन।

(अनुच्छेद - 48)

पर्यावरण सुरक्षित रखो, करो जीवन का रक्षण,
वृक्ष लगाओ, करो हरियाली,वन जीवों का रक्षण।

(अनुच्छेद - 48 क)

स्मारकों की करें सुरक्षा, रखें विशेष ध्यान,
इतिहास रहेगा सुरक्षित, बढ़ेगा सबका ज्ञान।

(अनुच्छेद - 49)

प्रशासन का न्यायालय में, ना हो कोई दखल,
न्यायपालिका रहे स्वतंत्र, न्याय मिले प्रतिपल।

(अनुच्छेद - 50)

सब देशों के बीच में, रहे सुरक्षा शान्ति,
आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रान्ति।

(अनुच्छेद - 51)

भाग-4क

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

संविधान का करें पालन, झंडे का करें सम्मान,
इसके आदर्शों को माने, आदर से करें राष्ट्रगान।

(अनुच्छेद - 51 क [क])

आजादी के आदर्शों को, समझे और बयान करें,
देश की प्रभुता, अखंडता के, रक्षक का काम करें।

(अनुच्छेद - 51 क [ख, ग])

राष्ट्र की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें,
भेदभाव रहित होकर, भ्रातृत्व का निर्माण करें।

(अनुच्छेद - 51 क [घ, ङ])

सामाजिक संस्कृति समझें, परम्परा का मान करें,
प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें।

(अनुच्छेद - 51 क [च, छ])

वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का काम करें,
सार्वजनिक सम्पत्ति का, कभी नहीं नुकसान करें।

(अनुच्छेद - 51 क [ज, झ])

खुद ऊंचाईयों को छू लें, लोगों को भी बढ़ायें,
राष्ट्र निरन्तर बढ़े आगे, सभी सफल हो जायें।

(अनुच्छेद - 51 क [ञ])

माता-पिता या संरक्षक, प्रथम काम ये करवायें,
चाहे गरीबी हो घर में, बच्चे को शिक्षा दिलवायें।

(अनुच्छेद - 51 क [ट])

भाग-5

संघ (The Union)

कार्यपालिका (The Executive)

भारत सरकार में राष्ट्रपति, सर्वोच्चाधिकारी होगा,
जल थल वायु सेना का, वह शीर्षाधिकारी होगा।

(अनुच्छेद - 52, 53)

संसद विधानसभाओं द्वारा,राष्ट्रपति चयनित होगा,
पाँच साल का कार्यकाल,जिनका नियमित होगा।

(अनुच्छेद - 54, 56)

नागरिक हो भारत का, आयु पैंतीस से कम ना हो,
सांसद बनने लायक हों,कोई लाभ का पद ना हो।

(अनुच्छेद - 58)

मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उनका शपथ ग्रहण होगा,
संविधान की रक्षा और अनुपालन का प्रण होगा।

(अनुच्छेद - 60)

राष्ट्रपति यदि संविधान की, अवहेलना करते हैं,
संसद सदस्य उनके ऊपर, दोषारोपण करते हैं।

(अनुच्छेद - 61)

संसद द्वारा दोषारोपण, महाभियोग कहलाता है,
दोष सिद्ध होने पर, उनको पद से हटाया जाता है।

(अनुच्छेद - 61)

राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, पर संसद है उनसे ऊपर,
राष्ट्रपति संसद न्यायालय, संविधान सबसे ऊपर।

(अनुच्छेद - 61 [भाव की अभिव्यक्ति])

राष्ट्रपति यदि हों असमर्थ, अनुपस्थित या बीमार,
भारत के उपराष्ट्रपति, देखेंगे उनका कार्यभार।

(अनुच्छेद - 63, 65)

संसद के दो सदन करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन,
संविधान के प्रति वे लेंगे, श्रद्धा, निष्ठा के वचन।

(अनुच्छेद - 66, 69)

राष्ट्रपति कर सकते हैं, किसी भी सजा को कम,
दे सकते हैं माफी भी, या फिर सजा का निलंबन।

(अनुच्छेद - 72)

राष्ट्रपति की मदद हेतु, एक मंत्री परिषद होगी,
समुचित कार्यवाही हेतु, जो अपनी सलाह देगी।

(अनुच्छेद - 74)

महामहिम को, सलाह का, पालन करना ही होगा,
इस सलाह की अनदेखी, संभव काम नहीं होगा।

(अनुच्छेद - 74)

मंत्री-मंडल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा होगी,
लोकसभा के प्रति भी, मंडल की जिम्मेदारी होगी।

(अनुच्छेद - 75)

मंत्री-परिषद का मुखिया, प्रधानमंत्री होता है,
प्रजातंत्र में वह व्यक्ति, सबसे ताकतवर होता है।

(अनुच्छेद - 75)

एक महान्यायवादी होगा, भारत सरकार में नियुक्त,
सरकार को विधि सम्बन्धी, सलाह देगा उपयुक्त।

(अनुच्छेद - 76)

सरकार सब काम करेगी, राष्ट्रपति के नाम से,
उनको अवगत भी करायेगी, सरकार के काम से।

(अनुच्छेद - 77, 78)

संसद (Parliament)

संसद भारत देश की, सबसे बड़ी संस्था होगी,
नये कानून बनाने हेतु, उसकी ही क्षमता होगी।

(अनुच्छेद - 79)

तीन भागों से होता है, भारतीय संसद का गठन,
सर्वप्रथम हैं राष्ट्रपति, फिर संसद के दो सदन।

(अनुच्छेद - 79)

राज्य सभा के सदस्यों का, राज्य ही करें चयन,
कुछ विशेष लोगों का, किया जाता है मनोनयन।

(अनुच्छेद - 80)

प्रत्येक पाँच साल में होता, लोक सभा का चुनाव,
यही लोकतंत्र का जादू, जब लोग करे बदलाव।

(अनुच्छेद - 83)

राज्य सभा में नियुक्ति हेतु, उम्र चाहिए तीस,
लोकसभा में आने हेतु, पूरे करें पच्चीस।

(अनुच्छेद - 84)

राष्ट्रपति समय समय पर, करेंगे संसद में बैठक,
दोनों सदनों में अभिभाषण का, होगा उनका हक।

(अनुच्छेद - 86, 87)

लोकसभा शीघ्र चुनेगी, अपना एक अध्यक्ष,
लोकसभा के संचालन में, होगा वह अति दक्ष।

(अनुच्छेद - 93)

संसद के सब सदस्यों को, लेनी होगी एक शपथ,
संविधान का करेंगे पालन, अपनायेंगे उसका पथ।

(अनुच्छेद - 99)

सांसद नहीं बने रहेंगे, यदि हो विकृत मानसिकता,
हो जायें दिवालिया, या त्यागें देश की नागरिकता।

(अनुच्छेद - 102)

सांसद सदन में बोलें, या रखें स्वतंत्र विचार,
वाणी की स्वतंत्रता ही, है संसद का मुख्य आचार।

(अनुच्छेद - 105)

संसद बनायेगी कानून और पास करेगी बिल,
दोनों सदनों की सहमति से, काम नहीं मुश्किल।

(अनुच्छेद - 107)

जब कोई बिल पास होगा, सहमति देगें राष्ट्रपति,
यदि संविधान सम्मत है,तो जल्द ही देंगे स्वीकृति।

(अनुच्छेद - 111)

मंत्रालय सरकारी खर्चे का, पूरा बजट बनाता है,
वित्त मंत्री फिर इसको, संसद में पास कराता है।

(अनुच्छेद - 112)

संसद में होगी प्रयोग, हिन्दी या अंग्रेजी भाषा,
यदि कोई दोनों ना जाने, बोले अपनी मातृभाषा।

(अनुच्छेद - 120)

किसी जज के बर्ताव पर, संसद में ना होगी बहस,
संसदीय कार्यवाही पर, जज का नहीं चलेगा बस।

(अनुच्छेद - 121, 122)

संसद ना चल रही हो, परिस्थिति भी हो विशेष,
राष्ट्रपति कानून बनायें, जारी करके अध्यादेश।

(अनुच्छेद - 123)

न्यायपालिका (The Union Judiciary)

पूरे भारत में एक, सर्वोच्च न्यायालय होगा,
न्याय का मन्दिर होगा, जजों का कार्यालय होगा।

(अनुच्छेद - 124)

जज यदि बनना हो, तो चाहिए संविधान का ज्ञान,
वकील या जज के रूप में, पहले किया हो काम।

(अनुच्छेद - 124)

इन सभी जजों का चयन, राष्ट्रपति जी करते हैं,
इसके लिए अन्य जजों से, सलाह भी वह करते हैं।

(अनुच्छेद - 124)

पद ग्रहण से पूर्व, सब जज करते हैं ये वादा,
पक्षपात मैं नहीं करूंगा, रखूँ संविधान मर्यादा।

(अनुच्छेद - 124)

जज हो जायें असमर्थ, या तोड़े संविधान की हद,
संसद करेगी महाभियोग, छोड़ना होगा उनको पद।

(अनुच्छेद - 124)

सुप्रीम कोर्ट के पास, सबसे ज्यादा अधिकार,
मसला अपील का हो,या फिर राज्यों की तकरार।

(अनुच्छेद - 131, 132, 133, 134)

जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट, नये कानून बनाता है,
जटिल संवैधानिक मसलों को भी,ये सुलझाता है।

(अनुच्छेद - 141, 143)

भारत में एक नियंत्रक महालेखापरीक्षक होगा,
केन्द्र-राज्य के खर्चों का, ब्यौरा उसे रखना होगा।

(अनुच्छेद - 148, 149)

भाग-6

राज्य (The States)

कार्यपालिका (The Executive)

राज्यपाल हर राज्य में, सर्वोच्च अधिकारी होगा,
राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति,कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

(अनुच्छेद - 153, 154, 155, 156)

राज्यपाल की नियुक्ति हेतु, भारत का नागरिक हो,
आयु पैंतीस की हो, अन्य लाभ का पद ना हो।

(अनुच्छेद - 157, 158)

राज्यपाल को मिलेंगे, भत्ते और विशेषाधिकार,
साथ ही साथ होंगे वे, मुफ्त मकान के हकदार।

(अनुच्छेद - 158)

उच्च न्यायालय के जज से, राज्यपाल लेंगे शपथ,
जनता की करेंगे सेवा, अपनायेंगे संविधान पथ।

(अनुच्छेद - 159)

आपराधिक मामलों में, राज्यपाल रखते हैं शक्ति,
दोषी की कम करें सजा,या फिर दण्ड से दे मुक्ति।

(अनुच्छेद - 161)

राज्यपाल विवेकानुसार, करेंगे कार्यों का निर्वाह,
अन्य मामलों में वे लेंगे, मंत्री परिषद से सलाह।

(अनुच्छेद - 163)

राज्यपाल ही करेंगे, राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति,
फिर उनकी सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।

(अनुच्छेद - 164)

राज्य के कुल मंत्रियों की, संख्या निर्धारित होगी,
एम एल ए की संख्या का,पंद्रह प्रतिशत ही होगी।

(अनुच्छेद - 164)

राज्य मंत्रियों की शपथ, संविधान के प्रति होगी,
सारी जनता की सेवा, पक्षपात रहित होगी।

(अनुच्छेद - 164)

मंत्री को गोपनीयता की, शपथ ग्रहण करनी होगी,
कुछ विषयों की जानकारी, उन्हें गुप्त रखनी होगी।

(अनुच्छेद - 164)

राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे, राज्य का महाधिवक्ता,
कानूनी विषयों पर होगा,वो ही अधिकारिक वक्ता।

(अनुच्छेद - 165)

राज्य की कार्यवाही होगी, राज्यपाल के नाम से,
मुख्यमंत्री अवगत करायेंगे, उनको अपने काम से।

(अनुच्छेद - 166, 167)

विधान मण्डल
(The State Legislature)

सब राज्यों में होगा, विधानसभा एक मुख्य सदन,
कुछ में अतिरिक्त होगा, विधानपरिषद का गठन।

(अनुच्छेद - 168)

विधानसभा में होगा, जनसंख्या का सही अनुपात,
ताकि हर समाज के लोग, पूरी रखें अपनी बात।

(अनुच्छेद - 170)

उम्र यदि पच्चीस की हो, मन में हो सेवा का भाव,
एम०एल०ए० बनने हेतु, लड़ सकते हो तुम चुनाव।

(अनुच्छेद - 173)

संविधान प्रति रखनी होगी, हर सदस्य को निष्ठा,
मेरा भारत रहे अखण्ड, ऊँची उसकी रहे प्रतिष्ठा।

(अनुच्छेद - 173)

विधानसभा अध्यक्ष, करेंगे सभा का संचालन,
हर दल रखे अपनी बात,हो नियमों का भी पालन।

(अनुच्छेद - 178)

सदन में हर सदस्य, अपनी बात कह सकता है,
बेखौफ, बेहिचक विचार, व्यक्त कर सकता है।

(अनुच्छेद - 194)

सदन, सदस्यों के वेतन को भी, तय कर सकता है,
जरूरत पड़े तो भत्तों में, बढ़ोत्तरी कर सकता है।

(अनुच्छेद - 195)

विधानसभा राज्य का बिल भी,पास कर सकती है,
फिर उस पर राज्यपाल से, स्वीकृति ले सकती है।

(अनुच्छेद - 196)

राज्यपाल सहमत होने पर, अपनी मुहर लगायेंगे,
बिल में कुछ गड़बड़ है, तो राष्ट्रपति को बतायेंगे।

(अनुच्छेद - 200)

विधानसभा बना सकती है, राज्य के लिए कानून,
जिसमें राज्य का हित हो, जनता को मिले सुकून।

(अनुच्छेद - 200)

राज्य बजट बतलायेगा,सरकार का वार्षिक खर्चा,
योजनाओं के मुद्दो पर, फिर होगी सदन में चर्चा।

(अनुच्छेद - 202, 203)

हिन्दी, अंग्रेजी, स्थानीय, होंगी सदन की भाषा,
कोई न जाने यदि इन्हें भी, बोलेगा वह मातृभाषा।

(अनुच्छेद - 210)

जज के आचरण पर, नहीं करेगा सदन बहस,
सदन की कार्यवाही पर भी, न चले कोर्ट का बस।

(अनुच्छेद - 211, 212)

विधानसभा का सत्र न हो, परिस्थिति हो विशेष,
राज्यपाल कानून बनायें, जारी करके अध्यादेश।

(अनुच्छेद - 213)

अध्यादेश को सदन द्वारा, करना होगा पास,
वर्ना होगा बेअसर वह, बीते यदि डेढ़ मास।

(अनुच्छेद - 213)

राज्यों के उच्च न्यायालय
(The High Courts in the States)

हर राज्य में न्याय हेतु, एक उच्च न्यायालय होगा,
जिसमें जनता की खातिर, न्याय द्वार खुला होगा।

(अनुच्छेद - 214)

दस साल का न्यायिक अनुभव, या रहा हो वकील,
तब होगा उच्च न्यायालय का, जज बनने काबिल।

(अनुच्छेद - 217)

राष्ट्रपति द्वारा होगी, न्यायधीश की नियुक्ति,
बासठ वर्ष पूरा होने पर, होगी पद से मुक्ति।

(अनुच्छेद - 217)

न्यायधीश लेंगे शपथ, राज्यपाल के साथ,
सब लोगों को देंगे न्याय, बिना किए पक्षपात।

(अनुच्छेद - 219)

अधीनस्थ न्यायालय
(Subordinate Courts)

छोटे न्यायालयों पर होगी, हाईकोर्ट की निगरानी,
नियमपूर्वक कार्य करें सब, कोई न करे मनमानी।

(अनुच्छेद - 233)

जिला जजों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा होगी,
इससे सम्बन्धित सलाह, हाईकोर्ट द्वारा होगी।

(अनुच्छेद - 233)

सात वर्ष वकालत वाला, जिला जज बनने योग्य,
अन्य न्यायिक पदों हेतु, है लोक सेवा आयोग।

(अनुच्छेद - 233)

भाग-7

प्रथम अनूसूची के भाग ख में राज्य

(The States in Part B of First Schedule)

निरसित (Repealed)

भाग-8
संघ राज्यक्षेत्र
(The Union Territories)

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, प्रशासक होगें जिम्मेदार,
चाहे हो दमन, दीव या अंडमान और निकोबार।

(अनुच्छेद - 239)

राजधानी दिल्ली में है, उपराज्यपाल का शासन,
यहाँ विधानसभा भी है, जहाँ जनता करें निर्वाचन।

(अनुच्छेद - 239 क [क])

भाग-9
पंचायतें
(The Panchayats)

तेजी से हो सबका विकास, हो जनता का शासन,
इसके लिए करना होगा, पंचायतों का प्रशासन।

(अनुच्छेद - 243 ख)

ग्राम सभा हो, पंचायत हो और हो जिला परिषद,
अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु आरक्षित हों पद।

(अनुच्छेद - 243 ग, घ)

महिलायें भी समाज की, हैं महत्वपूर्ण ईकाई,
उनके लिए आरक्षित हो, अध्यक्ष पद एक तिहाई।

(अनुच्छेद - 243 घ)

राज्य पंचायतो को देंगे, शक्ति और अधिकार,
विकास हो, न्याय मिले, हो जनता का उपकार।

(अनुच्छेद - 243 छ)

पंचायत कर सकती है, टैक्स वसूली का भी काम,
खर्चा-पूर्ति के लिए, राज्य भी देगा उन्हें अनुदान।

(अनुच्छेद - 243 ज)

प्रत्येक पाँच साल में होगा, पंचायत का निर्वाचन,
राज्य चुनाव आयोग करेगा, इन सबका संचालन।

(अनुच्छेद - 243 ट)

भाग-9 क

नगरपालिकायें

(The Municipalities)

शहरों में नगरपालिका, है पंचायत का दूसरा रूप,
वार्ड और उसकी समितियों जैसा होगा प्रारूप।

(अनुच्छेद - 243 थ, द, ध)

महिला, कमजोर वर्गों का, आरक्षण करना होगा,
योजना लागू करने को, टैक्स वसूल करना होगा।

(अनुच्छेद - 243 न, भ)

महानगर क्षेत्र में आबादी है, दस लाख से ज्यादा,
प्रमुख, मेयर कहलाता है,जिम्मेदारी भी है ज्यादा।

(अनुच्छेद - 243 त, थ, ब)

भाग-9 ख

सहकारी समितियां

(The Co-Operative Societies)

लोग बना सकते हैं, अपनी एक सहकारी समिति,
बोर्ड करेगा संचालन,बेहतर होगी आर्थिक स्थिति।

(अनुच्छेद - 243 यज, यञ)

भाग-10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

(The Scheduled and Tribal Areas)

एस०टी० लोगों के विकास का, है विशेष प्रावधान,
अनुसूचित क्षेत्रों का भी, खूब रखना होगा ध्यान।

(अनुच्छेद - 244)

जनजाति के लिए, एक सलाहकार परिषद होगी,
जिससे उनके प्रशासन की, नीति निर्धारित होगी।

(अनुच्छेद - 244, पाँचवी अनुसूची)

उनके कल्याण कार्यों पर, राज्यपाल रखें निगरानी
भूमि उनकी रहे सुरक्षित, साहूकार न करें मनमानी।

(अनुच्छेद - 244, पाँचवी अनुसूची)

राज्यपाल उनके क्षेत्रों में, परिवर्तन कर सकते हैं,
शान्ति सुरक्षा कानूनों में, बदली भी कर सकते हैं।

(अनुच्छेद - 244, पाँचवी अनुसूची)

असम राज्य में होंगे, स्वशासी जिला और प्रदेश,
लागू नहीं होंगे इन पर, राज्य सरकार के निर्देश।

(अनुच्छेद - 244, छठी अनुसूची)

जंगल और जनजाति में है, बहुत गहरा संबंध,
संतुलन कैसे रखा जाये, इसका है सही प्रबंध।

(अनुच्छेद - 244, छठी अनुसूची)

वनभूमि का, उत्पादों का, जनजाति करे प्रयोग,
वन भी रहे सुरक्षित, ना हो जीविका में अवरोध।

(अनुच्छेद - 244, छठी अनुसूची)

राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों में, निश्चित करें सुशासन,
शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के दिलवाये सब साधन।

(अनुच्छेद - 244, छठी अनुसूची)

भाग-11

संघ और राज्यों के बीच में सम्बन्ध

(Relations between the Union and the States)

संसद पूरे भारत में, कानून बना सकती है,
विधानसभा केवल राज्य में, ऐसा कर सकती है।

(अनुच्छेद - 245)

कानून बनाने की शक्ति, केन्द्र-राज्य की है पृथक,
विषय उनके निर्धारित हैं, ताकि ना हो कोई शक।

(अनुच्छेद - 246)

संघ सूची में लिखे हैं, संसद के अधिकार,
जैसे रक्षा, रेल, विदेश, सेना, दूर संचार।

(अनुच्छेद - 246, सातवीं अनुसूची - संघ सूची)

राज्य सूची में वर्णित है, विधानसभा के अधिकार,
जैसे पुलिस स्वास्थ्य कृषि, वन विद्युत कारागार।

(अनुच्छेद - 246, सातवीं अनुसूची - राज्य सूची)

कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर दोनों का अधिकार,
इनमें से हैं शिक्षा, सजा, न्याय, वन, व्यापार।

(अनुच्छेद - 246, सातवीं अनुसूची - समवर्ती सूची)

फिर भी संसद बड़ी है, श्रेष्ठ हैं उसके अधिकार,
राष्ट्रहित में कानून बनाये, करे अन्तराष्ट्रीय करार।

(अनुच्छेद - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254)

कानूनों का अनुपालन निश्चित करे राज्य सरकार,
वर्ना निर्देशित भी कर सकती है, भारत सरकार।

(अनुच्छेद - 256)

केंद्र, राज्य सरकारों को, दे सकता है आदेश,
देशहित के कामों में, यदि मुश्किल आती है पेश।

(अनुच्छेद - 257)

दो राज्यों में विवाद हो, या नदी जल का बँटवारा,
केन्द्र कानून बनाकर, कर सकता है निपटारा।

(अनुच्छेद - 262)

राज्यों के झगड़ों को, सब मिलजुल के सुलझायें,
जाँच एवं सुझाव हेतु, परिषद एक बनायें।

(अनुच्छेद - 263)

भाग-12

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद

(Finance, Property, Contracts and Suits)

टैक्स द्वारा जो पैसा आये, संचित धन कहलाये,
भाँति-भाँति के खर्चों में, यह धन काम में आये।

(अनुच्छेद - 266)

कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एकदम और कई बार,
जिसकी खातिर कंटीजेंसी फंड,रखती हैं सरकार।

(अनुच्छेद - 267)

केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों लें जनता से कर,
फिर नियमानुसार आपस में, बाँटें इसे बराबर।

(अनुच्छेद - 268, 269, 270)

केन्द्र को, राज्य सरकारों को, देना होगा अनुदान,
जनजाति क्षेत्रों के विकास का, रखना होगा ध्यान।

(अनुच्छेद - 275)

वित्त आयोग सुझाव देता है, धन के वितरण पर,
ताकि राज्यों को मिले, उन्नति के बराबर अवसर।

(अनुच्छेद - 280, 281)

केंद्र की सम्पत्ति पर, राज्य नहीं लगायें कर,
केंद्र भी इस सम्बन्ध में, करे राज्य का आदर।

(अनुच्छेद - 285, 289)

केंद्र, राज्य कर सकते हैं, व्यापार और कारोबार,
समुद्री खनिजों पर होगा,केवल केंद्र का अधिकार।

(अनुच्छेद - 297, 298)

राष्ट्रपति की ओर से, साइन होंगे सब करार,
पर कोई चूक हुई तो, नहीं होंगे वे जिम्मेदार।

(अनुच्छेद - 299)

कोई व्यक्ति कर सकता है, सम्पत्ति को संचित,
कानून बिना उसे, नहीं कर सकते हैं वंचित।

(अनुच्छेद - 300 क)

भाग-13

भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Trade, Commerce and Intercourse in India)

कोई कहीं भी कर सकता है, वाणिज्य या व्यापार,
जिसे जनहित में नियमित, कर सकती है सरकार।

(अनुच्छेद - 301, 302)

केन्द्र फंड के वितरण में, न करे किसी से पक्षपात,
साधन विहीन राज्यों का,फिर भी देना होगा साथ।

(अनुच्छेद - 303)

भाग-14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
(Services under the Union and the States)

सरकारी कामकाज हेतु, नियुक्त होते हैं अधिकारी,
कार्य सुचारू रूप से हो, लेते हैं जिम्मेदारी।

(अनुच्छेद - 309)

कोई अधिकारी कर्मठ है, काम है उसका अच्छा,
संविधान उसको देता है, काफी अधिक सुरक्षा।

(अनुच्छेद - 310, 311)

नियुक्ति कर्ता ही किसी को, पद से हटा सकता है,
विधिवत जाँच कराके, सजा सुना सकता है।

(अनुच्छेद - 311)

किसी कार्यवाही से पहले, व्यक्ति को सुनना होगा,
उसके दोष बताने होंगे, फिर निर्णय करना होगा।

(अनुच्छेद - 311)

यदि गंभीर अपराध में, दोषी सिद्ध हुआ अधिकारी,
पद से हटाया जा सकता है, उसे बिना इन्क्वारी।

(अनुच्छेद - 311, 2 क)

कभी-कभी सुरक्षा हित में, जाँच नहीं हो सकती है,
बिना जाँच, अधिकारी की सेवामुक्ति हो सकती है।

(अनुच्छेद - 311, 2 ख, ग)

केंद्र में भर्ती हेतु है, संघ लोक सेवा आयोग,
आवेदन कर सकते हैं, सेवा के इच्छुक सब लोग।

(अनुच्छेद - 315)

आयोग करेगा संचालित, नियुक्ति हेतु परीक्षा,
उच्च सेवाओं में चाहिए, ग्रेजुएट तक की शिक्षा।

(अनुच्छेद - 315, 320)

राज्यों में भर्ती हेतु है, राज्य लोक सेवा आयोग,
छोटे राज्य चाहें तो, बनेगा एक संयुक्त आयोग।

(अनुच्छेद - 315)

आयोग में होंगे सदस्य, होगा एक अध्यक्ष,
रहें हो सरकारी पद पर, छवि हो उनकी निष्पक्ष।

(अनुच्छेद - 316)

आयोग, भर्ती सम्बन्धित, अपनी सलाह भी देगा,
राष्ट्रपति को हर साल, सब कार्यों का ब्यौरा देगा।

(अनुच्छेद - 323)

भाग-14क

अधिकरण (Tribunals)

केंद्र, राज्य स्तर पर होंगे, प्रशासनिक अधिकरण,
भर्ती, सेवा के झगड़ों का, किया करेंगे निराकरण।

(अनुच्छेद - 323 क)

कुछ अधिकरण करेंगे, अन्य विवादों का निपटारा,
टैक्स, श्रम विवाद, या खाद्य वस्तुओं का बँटवारा।

(अनुच्छेद - 323 ख)

भाग-15

निर्वाचन (Elections)

प्रजातन्त्र का मुख्य तन्त्र है, निर्वाचन आयोग,
इसकी मदद से सरकारों को, चुनते हैं हम लोग।

(अनुच्छेद - 324)

मुख्य चुनाव आयुक्त करायें, चुनाव का संचालन,
आचार संहिता का करवायें, सख्ती से अनुपालन।

(अनुच्छेद - 324)

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या विधानमंडल,
सबके चुनाव पर आयोग, निगरानी रखे प्रतिपल।

(अनुच्छेद - 324)

चुनाव आयुक्तों को देता है, संविधान सुरक्षा,
स्वतन्त्र चुनावों से ही होती, प्रजातन्त्र की रक्षा।

(अनुच्छेद - 324)

लोकसभा, विधान सभा का, जब भी हो निर्वाचन,
आयोग को सब सहयोग, देगा राज्य प्रशासन।

(अनुच्छेद - 324)

वोटर लिस्ट में शामिल होगा, हर वयस्क का नाम,
इस सब को निष्पक्ष कराना, है आयोग का काम।

(अनुच्छेद - 325)

अठारह वर्ष का हर व्यक्ति, रखता है मताधिकार,
अपनी इच्छा के अनुसार, चुन सकता है सरकार।

(अनुच्छेद - 326)

एम०पी० और एम०एल०ए० बने, हो चुनाव निष्पक्ष,
लोकतंत्र कायम रहे, यही आयोग का लक्ष्य।

(अनुच्छेद - 324 [भाव की अभिव्यक्ति])

भाग-16

कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

(Special Provisions relating to Certain Classes)

अनुसूचित जाति, जनजाति का है विशेष प्रबंध,
लोकसभा में है आरक्षण, है अनुपातिक संबंध।

(अनुच्छेद - 330)

ऐंग्लो इंडियन लोग यदि, संख्या में कम लगते हैं,
राष्ट्रपति लोकसभा में, दो सदस्य रख सकते हैं।

(अनुच्छेद - 331)

एससी, एसटी लोगों की, जितनी जनसंख्या होगी,
उतनी ही, विधानसभा में, सीटों की संख्या होगी।

(अनुच्छेद - 332)

सरकारी सेवाओं में,एससी, एसटी का हो स्थान,
थोड़ी छूट मिले अंकों में, ताकि भर्ती हो आसान।

(अनुच्छेद - 335)

राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग करे हकों की रक्षा
उनसे संबंधित समस्याओं की, करता है ये परीक्षा।

(अनुच्छेद - 338)

एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे,
संविधान के प्रावधान, उन्हें लागू करने होंगे।

(अनुच्छेद - 338)

एस० सी० लोगों के हितों में, न हो कोई कोताही,
साबित हो आरोप यदि, आयोग करे कार्यवाही।

(अनुच्छेद - 338)

अन्य कल्याणकारी, उपाय खोजकर लायेगा,
राष्ट्रपति को आयोग, अपने सुझाव बतलायेगा।

(अनुच्छेद - 338)

आयोग का दर्जा, सिविल न्यायालय का होगा,
सबकी पेशी कराने का हक, उसे प्राप्त होगा।

(अनुच्छेद - 338)

राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट, संसद में रखवायेंगे,
सिफारिशों पर कार्रवाई से, अवगत भी करवायेंगे।

(अनुच्छेद - 338)

आयोग चाहे, तो संबंधित कागज, पेश करने होंगे,
शपथपत्र देकर सारे सबूत, प्रकट करने होंगे।

(अनुच्छेद - 338)

एस० सी० संबंधित, कोई निर्णय लेती है सरकार,
आयोग से लेकर सलाह, उसे करना होगा विचार।

(अनुच्छेद - 338)

एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी होगा
एस सी आयोग जैसा स्तर, इसको भी प्राप्त होगा।

(अनुच्छेद - 338 क)

वैसी ही शक्ति होगी, वही कार्य वह करेगा,
जनजाति के हितों की रक्षा, हर हालत में करेगा।

(अनुच्छेद - 338 क)

एस०टी० की उन्नति हेतु, आयोग की होगी नियुक्ति
राज्य यदि करे ढिलाई, केंद्र करेगा सख्ती।

(अनुच्छेद - 339)

सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से, पिछड़े हैं जो लोग,
राष्ट्रपति उनके लिए, गठित करें आयोग।

(अनुच्छेद - 340)

आयोग अध्ययन करेगा, कैसे हो उनका सुधार,
कैसे केंद्र-राज्य बन सकते, उन लोगों के मददगार।

(अनुच्छेद - 340)

आयोग राष्ट्रपति को देगा, सिफारिशें ब्यौरेवार,
संसद को फिर करना होगा, भलाई हेतु विचार।

(अनुच्छेद - 340)

भाग-17

राजभाषा

(Official Language)

संघ की भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी,
शासकीय प्रयोजन हेतु, अंग्रेजी की जरूरत होगी।

(अनुच्छेद - 343)

राष्ट्रपति भाषाविदों का, एक आयोग करें गठित,
हिंदी के प्रचार हेतु, प्रयास करे जो संगठित।

(अनुच्छेद - 344)

हिंदी भाषा हो समृद्ध, बढ़े ज्ञान और विज्ञान,
अहिंदी भाषी लोगों का, आयोग रखे ध्यान।

(अनुच्छेद - 344)

विधानसभा स्थानीय भाषा को, कर ले अंगीकार,
पर सरकारी कामों में, रहे अंग्रेजी बरकरार।

(अनुच्छेद - 345)

दो राज्यों को आपस में, यदि करना है पत्राचार,
दोनों मिलकर हिंदी को, कर सकते हैं स्वीकार।

(अनुच्छेद - 346)

उच्च, उच्चतम न्यायालय में, अंग्रेजी प्रयुक्त होगी,
आदेशों,अधिनियमों की प्रति, अंग्रेजी में ही होगी।

(अनुच्छेद - 348)

भाषाई अल्पसंख्यकों का, सरकार रखे ध्यान,
मातृभाषा में ही मिले, सब विषयों का ज्ञान।

(अनुच्छेद - 350 क, ख)

सरकार हिंदी को करे समृद्ध, खूब करे प्रचार,
अन्य भाषाओं के शब्दों से, करे इसका विस्तार।

(अनुच्छेद - 351)

भाग-18

आपात उपबन्ध

(Emergency Provisions)

युद्ध का हो संकट, विद्रोहियों का बिछा हो जाल,
राष्ट्रपति सन्तुष्टि करके,घोषित करें आपातकाल।

(अनुच्छेद - 352)

आपातकाल के लिए चाहिए, संसद की मंजूरी,
एक माह के भीतर ही, यह सहमति अति जरूरी।

(अनुच्छेद - 352)

इस दौरान मिल जाते हैं,केंद्र को ज्यादा अधिकार,
केंद्र सरकार चला सकती है,राज्य की भी सरकार।

(अनुच्छेद - 353)

केंद्र, राज्य की करेगा, हर हालत में सुरक्षा,
चाहे वाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह से रक्षा।

(अनुच्छेद - 355)

राज्य यदि नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार,
राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे, रिपोर्ट सिलसिलेवार।

(अनुच्छेद - 356)

फिर उस राज्य में लागू होगा, राष्ट्रपति शासन,
भारत सरकार हाथ में लेगी, वहाँ का प्रशासन।

(अनुच्छेद - 356)

उदघोषणा का संसद द्वारा, करना होगा अनुमोदन,
दो महीनों में पास करेंगे, संसद के दोनों सदन।

(अनुच्छेद - 356)

आपातकाल में छिन जायेंगे, सारे मूल अधिकार,
बचेगी शारीरिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार।

(अनुच्छेद - 358, 359)

भारत में यदि पैदा हो, आर्थिक संकट काल,
राष्ट्रपति घोषित करते हैं, वित्तीय आपातकाल।

(अनुच्छेद - 352)

इस दौरान राज्यों के खर्चे, किये जायेंगे कम,
घट जायेंगे कर्मचारियों और जजों के वेतन।

(अनुच्छेद - 360)

भाग-19

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

राष्ट्रपति व राज्यपाल को, प्राप्त हैं विशेषाधिकार,
ना उन पर कोई केस चलेगा, न होंगे वे गिरफ्तार।

(अनुच्छेद - 361)

यदि कोई छपवाता है, संसद की कार्यवाही,
न्यायालय नही करेगा, कोई दाण्डिक कार्यवाही।

(अनुच्छेद - 361 क)

भाग-20

संविधान का संशोधन

(Amendment of the Constitution)

संसद चाहे, कर सकती है, संविधान में संशोधन,
दो तिहाई बहुमत से, यदि पास करें दोनों सदन।

(अनुच्छेद - 368)

फिर ये विधेयक, राष्ट्रपति को भेजा जायेगा,
उनकी स्वीकृति मिलने पर, संशोधन कहलायेगा।

(अनुच्छेद - 368)

भाग-21

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध

(Temporary, Transitional and Special Provisions)

जम्मू और कश्मीर राज्य का, है विशेष अधिकार,
संसद का कानून चलेगा, जब राज्य करे स्वीकार।

(अनुच्छेद - 370)

कई बहुत से राज्यों में भी, हैं विशेष उपबन्ध,
उनकी उन्नति और विकास हो, कुछ ऐसे प्रबंध।

(अनुच्छेद - 371, 371 क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ)

भाग-22

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

(Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi)

हमारा ये संविधान,भारत का संविधान कहलायेगा,

छब्बीस जनवरी 1950 से, पूरा लागू हो जायेगा।

(अनुच्छेद - 393, 394)

राष्ट्रपति जी संविधान को, हिन्दी में छपवायेंगे।

हिन्दी, अंग्रेजी संस्करण ही, अधिकृत कहलायेंगे।

(अनुच्छेद - 394 क)

***** **समाप्त** *****